

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

मा नम्बर-120/2019 प्रार्थना पत्र

रुलाल पिता नंदा उर्फ नंदलाल बलाई, उग्र बालिग निवासी वार्ड नं० 1 मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ---प्रार्थी

बनाम

श्रीमति प्रेमदेवी पुत्री नंदा उर्फ नंदलाल बलाई, उग्र बालिग निवासी वार्ड नं.1 मंगलपुरा-भीलवाड़ा

श्रीमति भाग्यती पुत्री नंदा उर्फ नंदलाल बलाई, उग्र बालिग निवासी वार्ड नं. 1 मंगलपुरा-भीलवाड़ा

श्रीमति एजी पत्नि नंदा उर्फ नंदलाल बलाई, उग्र बालिग निवासी वार्ड नं. 1 मंगलपुरा-भीलवाड़ा

कंवरलाल पिता हमीरा बलाई, उग्र बालिग निवासी पुर हाल आसीन्द तहसील आसीन्द

नारायण पिता कजोड़ जाट, उग्र बालिग निवासी मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

डालचन्द पिता कजोड़ जाट, उग्र बालिग निवासी मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

लादूलाल पिता उदयलाल भील, उग्र बालिग निवासी मंगलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

विरेन्द्र कुमार पिता शांतिलाल सोनी, उग्र बालिग निवासी बरड़ोद हाल काशीपुरी-भीलवाड़ा

हाचन्द प्रकाश चन्द एच.यू.एफ.कर्ता श्रीमहाचन्द पिता रघुनाथ जैन, उग्र बालिग निवासी भीलवाड़ा

प्रहलादराय पिता देववक्ष मेघवंशी, उग्र बालिग निवासी मौखमपुरा रोड़, आजादनगर-भीलवाड़ा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-31.7.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार हल्का भील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 7163 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 7164 रकबा कुल कित्ता 2 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित पटवार के पड़ोसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारणे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.5.2019 को पंजीवद्ध किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलव किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे त्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 11 उपस्थित नहीं। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, व 11 को कितनी ही मर्तवा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं कारण दिनांक 31.7.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया हैं।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते व बावत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। किन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों में विवादित पटवार प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत मिलेख जमावदी की नकल सम्वत् 2069 से 2070 से होती हैं। किन्तु प्रार्थी कुल कित्ता 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। ऐसी स्थिति में जब तक विभाजन मध्य नहीं हो जाता है तब तक किसी प्रकार की दादरसी प्रार्थी प्राप्त नहीं कर सकता हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में असफल रहने के कारण व संयुक्त प्रार्थी में होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 एल.आर.एक्ट. का खारीज किया जाता

(टीना डाबी)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31.7.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

